तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज प्रकरण संख्या – 45 /2017 श्रीमती ललीता देवी बनाम तहसीलदार, झुन्झुनू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, राजस्थान भू0 रा0 अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
24.01.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि कस्बा झुन्झुनू में स्थित खेत खसरा नम्बर 2672 रकबा 1.20 है0 अवस्थित है। उक्त खेत खसरा नम्बर 2672 रकबा 1.20 में से आवेदिका ने दिनांक 08.03.2007 को 308 वर्गगज भूमि यानि 0.03 है0 भूमि सुनिल कुमार मोदी पुत्र श्री रामचन्द्र मोदी निवासी झुन्झुनू जरिये रजिस्ट्रड विक्रय पत्र खरीदी थी तथा दिनांक 12.03.2007 को विक्रय पत्र अपने हक में तस्दीक करवा लिया था। उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात आवेदिका के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 493 दिनांक 15.05.2007 को उक्त भूमि 0.03 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई, परन्तु दिनांक 13.06.2017 को आवेदिका ने उक्त भूमि की जमाबंदी निकालवाई तो पता चला कि जमाबंदी सम्वत 2069–2072 में राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त भूमि में आवेदिका के नाम की जगह बबीता देवी पत्नी नन्दलाल जाति खाती निवासी माखर दर्ज हो गया। जबकि बबीता देवी पत्नी नन्दलाल खाती निवासी माखर नाम की कोई औरत नहीं है। अतः गलत बबीता देवी को दुरूस्त कर बबीता देवी की जगह ललीता देवी पत्नी नन्दलाल खाती निवासी माखर किया जाना उचित व न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को आदेश फरमाया जावे व राजस्व रिकार्ड में गलत नाम बबीता देवी दुरूस्त कर उसकी जगह ललीता देवी पत्नी नन्दलाल खाती निवासी माखर दर्ज करने का निवेदन किया। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो बाबत जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। विपक्षी तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक राजस्व/19/114 दिनांक 15.01.2019 द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की जिसमें कस्बा झुन्झुनू की जमाबंदी सम्वत 2062–2065 के खाता संख्या 265 में खसरा नम्बर 2672 रकबा 1.20 है0 में सुनिल कुमार मोदी पुत्र रामचन्द्र का हिस्सा 0.25 है0 दर्ज रिकार्ड है जिसमें से नामान्तकरण संख्या 493 दिनांक 15.05.2007 के द्वारा 0.03 है0 का बेचान ललीता देवी पत्नी नन्दलाल जांगिड के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत 2065–2068 के खाता संख्या 507 में ललीता देवी के बजाय सहवन से बबीता देवी पत्नी नन्दलाल जाति खाती हिस्सा 0.03 है0 दर्ज हो गया। नामान्तकरण संख्या 2977 दिनांक 22.07.2014 द्वारा सपरिवर्तन आदेश से खसरा नम्बर 2672 रकबा 1.20 है0 की खातेदारी नगर परिषद झुन्झुनू के नाम दर्ज रिकार्ड हो गई जिसको शुद्ध किया जाना संभव नहीं होना अंकित किया है। हमने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व मौका रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अत : **आदेश** प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी	